सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 74 राँची, शुक्रवार, 25 जनवरी, 2019 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

23 जनवरी, 2019

संख्या-04/लो०-01/2017 -278-- झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री सुधांशु शेखर मेहता, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग-2 तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर द्वारा अपने पदस्थापन काल में शिक्षकों का अनियमित स्थानांतरण किया गया जिसके कारण उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दुर्गीरायाडीह एवं बारासोली, देवीपुर शिक्षकों के आभाव में बन्द हो गया एवं जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्थानांतरण आदेश के निर्गत में अनावश्यक विलम्ब करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

श्री मेहता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-2056 दिनांक-21 अगस्त, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-'क' के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 एवं 14 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

श्री मेहता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश-सह-ज्ञापांक-11393 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के द्वारा

विभाग के लिये नामित विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री ददन चौबे (सेवानिवृत्त, झा०प्र०से०) को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगे।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र भूषण सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 74 -- 50